(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2977–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–07–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–708/अपील/2013–14

.....

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी
निवासी–ग्राम पड़रा तहसील हुजूर,
जिला–रीवा (म0प्र0)

————————आवेदिका

विरूद्ध

शासन मध्यप्रदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक
मण्डल गिर्द, तहसील हुजूर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

————————अनावेदक

.....

श्री बिरेन्द्र सिंह, अभिभाषक, आवेदिका
श्री नागेन्द्रमणि त्रिपाठी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/2017 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पड़रा की प्रश्नाधीन भूमि आराजी क्रमांक 279, 280, 281 एवं 282 में बन्दोबस्त के दौरान अधिकार अभिलेख एवं नक्शा सुधार किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक

39/अ–74/मूल/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2013 से आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया । अपर कलेक्टर रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1151–तीन/2014 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 07.04.2014 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 एवं 107 के तहत अपर कलेक्टर द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त एवं द्वितीय अपील राजस्व मण्डल को होगी। राजस्व मण्डल के आदेश के पश्चात् अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 09.04.2013 को अपर आयुक्त रीवा के समक्ष चुनौती दी गई। जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने दिनांक 29.07.2015 से अपील खारिज करते हुये अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र अधीक्षक भू–प्रबंधक रीवा द्वारा जो प्रतिवेदन गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और जिस प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि नक्शा त्रुटिपूर्ण प्रतीत नहीं होता, उसी प्रतिवेदन को अपर कलेक्टर रीवा ने सही मानकर आवेदन का आवेदन पत्र खारिज किया था और उसी आधार पर अपर आयुक्त ने भी यही माना कि अपर कलेक्टर का आदेश सही है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि आवेदिका ने अपर कलेक्टर के न्यायालय में नक्शा सुधार किये जाने का आवेदन नहीं दिया था बल्कि यह दिया था कि वर्तमान का जो नक्शा है और बंदोबस्त के आधार पर वर्तमान का जो नक्शा बनाया गया है तो उक्त वर्तमान नक्शे पर जिस भूखण्ड पर पुराना नंबर कायम था, उसी भूखंड पर नया नंबर कायम किया जाये । क्योंकि आवेदिका अपने पुराने नंबर के आधार पर ही काबिज है। लेकिन अधिकार अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अन्य जगह का नंबर अन्य भूखंड में दर्ज किया, उसी नंबर के सुधार के लिये आवेदन पत्र दिया था। जिसको अपर कलेक्टर ने भूखंड में नंबर सुधार का आवेदन पत्र न

माना जाकर नक्शा सुधार का आवेदन पत्र मानकर जो आदेश पारित किया है, वह आदेश त्रुटिपूर्ण व निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि राजस्व निरीक्षक ने जो प्रतिवेदन दिया है, उक्त प्रतिवेदन में नक्शे को जो सही बताया है, वह तो सत्य है। लेकिन राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह नहीं वर्णित किया कि बंदोबस्त के नक्शा और वर्तमान नक्शा में सिर्फ जहां पर पुराना नंबर स्थित था और जो नया नंबर है, वह नया नंबर वर्तमान नक्शे पर पुराने नंबर के स्थान पर इंद्राज नहीं किया गया । ऐसा प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक ने गलत प्रतिवेदन दिया, जबकि आवेदिका नक्शा सुधार का आवेदन पत्र नहीं दिया था, बल्कि नक्शे पर गलत भूमि नम्बरानों का इंद्राज़ जो दर्ज किया गया था, उसके सुधार के लिये दिया था, जिससे अपर कलेक्टर रीवा ने जो आदेश दिया वह त्रुटिपूर्ण है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आपत्तिकर्ता के अभिभाषक श्री नागेन्द्रमणि द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र में मुख्य रूप से यह बिन्दु लिया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 16.02.2016 को तलवी रिकार्ड हेतु नियत की गई थी। आवेदिका द्वारा पूर्व में भी प्रकरण क्रमांक निग0 1151–तीन/2014 विमला देवी विरूद्ध शासन न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष दायर की गई थी। जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 07.04.14 को निगरानी निरस्त की गई थी। आपत्तिकर्ता ने यह भी आपत्ति की है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध पुनः अपील/निगरानी आवेदिका द्वारा न्यायालय को गुमराह करके दायर की गई है तथा आपत्तिकर्ता को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया । आपत्तिकर्ता पूर्व में भी प्रकरण में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आपत्ति की थी जिसमें न्यायालय द्वारा प्रकरण निगरानी निरस्त कर दी गई थी। अंत आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति का निराकरण किये जाने एवं प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का अधिकार अभिलेख में सुधार एवं नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष पेश किया गया । अपर कलेक्टर रीवा

ने प्रकरण में अधीक्षक भू–प्रबंधन रीवा से जांच प्रतिवेदन मंगवाया । जांच प्रतिवेदन में पाया कि बन्दोबस्त के दौरान पुरानी बन्दोबस्ती नक्शा वर्ष 1923–24 के अनुसार पुराने और नये आराजी के नक्शों में कोई अंतर नहीं है। इसी कारण अपर कलेक्टर रीवा ने अधिकार अभिलेख एवं नक्शा में संशोधन किये जाने का आदेश पारित नहीं किया है तथा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 29.07.2015 से की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालया के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। जहां तक आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निराकरण किये जाने का प्रश्न है तो प्रकरण में दिनांक 11.05.2016 को आदेश पारित कर आपत्तिकर्ता को पक्षकार बनाया गया है। परन्तु आपत्तिकर्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वह पूव में मण्डल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1151–तीन/2014 में पक्षकार था। इसलिये उसे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के यहां भी पक्षकार बनना चाहिये। क्योंकि मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1151–तीन/2014 के आदेश की सत्यापित के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं था। आपत्तिकर्ता चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय के जिस आदेश से हितबद्ध है उसके विरूद्ध अपील/निगरानी करने के लिये स्वतत्रं है। जब अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार न हो तो तब उसे ऊपर के न्यायालय में पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.07.2015 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,